

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद अनुभाग-7
संख्या-02/2018/79/29-7-2018-रिट-07/17
लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2018

अधिसूचना

चूंकि भारत सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के राज्य कोटा के आवंटन में निरन्तर की जा रही कमी के दृष्टिगत रखते हुए यह तथ्य कि लोक वितरण प्रणाली के अधीन लक्षित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पुनः परिभाषित किया गया है और लक्षित लाभार्थियों को मात्र उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण करने का विनिश्चय किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित मात्र अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले घर-गृहस्थी श्रेणी के सिवाय सभी को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। खाद्यान्न सहित इस मिट्टी के तेल का वितरण उक्त पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कराया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त लाभार्थियों के मध्य मिट्टी के तेल के वितरण को सुदृढ बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज़ा, 1962 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

अतएव, अब साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन 1897) की धारा-21 और भारत सरकार के उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आज़ा संख्या-एस0ओ0-681(ई), दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या-10 सन 1955) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (चौदहवां संशोधन) आज़ा, 1994 जो गजट में प्रारम्भ से प्रकाशित न किये जाने के कारण तत्समय प्रभावी नहीं हुआ एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था, से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-584/29-7-69(पी.पी.)/91, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज़ा, 1962 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित आज़ा देते हैं:-

उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (उन्नीसवां संशोधन) आज़ा, 2018

- संक्षिप्त नाम, विस्तार 1- और प्रारम्भ (1) यह आज़ा उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (उन्नीसवां संशोधन) आज़ा, 2018 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

खण्ड-8 का
संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज़ा, 1962 में खण्ड-8 को उप-खण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्:-

(2) उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (उन्नीसवां संशोधन) आज़ा, 2018 के प्रारम्भ होने के पूर्व मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं के लिए जारी और ऐसे प्रारम्भ पर विद्यमान लाइसेंस निरस्त रहेंगे।

आज़ा से,
निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Khadya Evam Rasad Anubhag-7

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 02 /2018/79 /XXIX-7-2018-Writ-07/2017, dated : 22 March , 2018.

NOTIFICATION

No. 02/2018/79/XXIX-7-2018-Writ-07/2017
Lucknow :Dated: 22 March, 2018

Whereas in view of continuous decline in the allotment of State quota of Kerosene by the Government of India, the fact that the targeted beneficiaries under Public Distribution System have been redefined under National Food Security Act, 2013 and the decision taken to distribute Kerosene to targeted beneficiaries through Fair Price Shops only, it is not possible to make available the Kerosene to all except only for Antyodaya and Priority household (P.H.H.) category covered under the National Food Security Act, 2013. This kerosene is being distributed to the said eligible beneficiaries with food grains through the Fair Price Shops. Thus the retailers of kerosene are not required in the current perspective. With a view to strengthening the distribution of kerosene oil among the said beneficiaries in the current perspective it has been decided to amend the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962.

Now, therefore, in exercise of the powers under section-3 of the Essential Commodities Act,1955 (Act no. X of 1955) read with the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order No. S.O. 681 (E) dated November 30, 1974 and section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no.10 of 1897) and in supersession of Government notification no 584/ XXIX-7-69(PP)/91, dated April 19, 1994 ab initio void due to non publication thereof in the Gazette, regarding the Uttar Pradesh Kerosene Control (Fourteenth Amendment) Order, 1994 even though it was published on October 12, 2017, the Governor is pleased to make the following order with a view to amending the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962:-

**THE UTTAR PRADESH KEROSENE CONTROL (NINETEENTH
AMENDMENT) ORDER, 2018**

- Short title, extent and commencement
1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh Kerosene Control (Nineteenth Amendment) Order, 2018
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) It shall come into force with effect from the date of publication of the notification in the Gazette.

Amendment
of clause-8

2. In the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962 clause-8 shall be renumbered as sub-clause(1) thereof and after sub-clause(1) as so renumbered the following sub-clause shall be inserted, namely :-
(2) The licenses issued to the retailers of kerosene before the commencement of the Uttar Pradesh Kerosene Control (Nineteenth Amendment) Order, 2018 and existing on such commencement shall stand cancelled.

By Order,
Nivedita Shukla Verma
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।